गुटबाजी छोड़ संगठन पर ध्यान दें नेता: राहुल

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने बंद कमरे में कांग्रेसियों को पढ़ाया एकता का पाठ, क्षेत्र में उतरेंगे पर्यवेक्षक

पायनियर समाचार सेवा। चंडीगढ़

पार्टी मुख्यालय में प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक करते कांग्रेस नेता राहुल गांधी।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को चंडीगढ़ में हरियाणा के कांग्रेस नेताओं को एकता का पाठ पढ़ाते हुए आपसी गुटबाजी को छोड़ संगठन पर फोकस करने के निर्देश दिए हैं। बुधवार को यहां पार्टी मुख्यालय में प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की बैठक से राहुल ने 'संगठन सृजन' कार्यक्रम की शुरुआत की। बैठक में गुटबाजी और आपसी खींचतान को लेकर वरिष्ठ नेताओं को नसीहत देने के बाद राहुल ने केंद्रीय व प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से नियुक्त किए गए पर्यवेक्षकों की सामूहिक बैठक की।

इस बैठक में राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल, हरियाणा मामलों के प्रभारी बीके हरिप्रसाद व सह-प्रभारी जितेंद्र बघेल इस बैठक में मौजूद रहे। पर्यवेक्षक जिलों में दौरों के दौरान स्थानीय नेताओं व पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं से ही बात करेंगे। किसी भी नेता के घर जाने, उनके साथ खाना खाने या अन्य किसी भी तरह की करीबी बढ़ाने की जरूरत नहीं है। साथ ही, यह भी कह दिया गया कि अगर किसी भी पर्यवेक्षक के खिलाफ ग्राउंड से शिकायत आई तो उसे तुरंत बदल दिया जाएगा। बैठक के बाद केंद्रीय पर्यवेक्षकों को 'संगठन सृजन कार्यक्रम' के तहत जिलावार ड्यूटी सौंप दी है। सभी 22 जिलों में एक-एक पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। बड़ी बात यह है कि हरियाणा मामलों के सह-प्रभारी जितेंद्र बघेल को 12 और प्रफूल्ला गुड़दे को 10 जिले अलॉट किए हैं।

10 जून से केंद्रीय पर्यवेक्षकों जिलों में प्रवास का कार्यक्रम शुरू कर देंगे। केंद्रीय पर्यवेक्षक दो चरणों में जिलाध्यक्ष के पैनल बनाने की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। इस दौरान ये दोनों ही जिलाध्यक्षों - ग्रामीण व शहरी के लिए छह-छह के नाम के पैनल बनाएंगे। 10 जून से शुरू होने वाला दौरा तीन से चार दिन का हो सकता है। इस दौरान जिलाध्यक्ष की दौड़ में शामिल नेताओं से आवेदन लिए आएंगे। इसके बाद केंद्रीय पर्यवेक्षक आवेदनों की छंटनी करेंगे और दूसरे चरण में फिर से फील्ड में उतरेंगे।

दूसरे चरण में आवेदन करने वाले नेताओं से भी वन-टू-वन बातचीत होगी और उनके नामों को लेकर पार्टी के स्थानीय नेताओं व कार्यकर्ताओं से भी विचार-विमर्श किया जाएगा। पूरा फीडबैक लेने के बाद वे छह-छह नामों के पैनल तैयार करके हाईकमान को सौंपेंगे।

मीडिया से बातचीत में हरियाणा मामलों के प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने कहा कि पहले राज्यों में प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष और विधायक दल के नेता मिलकर संगठन बना लिया करते थे। अब कांग्रेस वर्किंग कमेटी और पार्टी के अधिवेशन में लिए गए फैसले के तहत केंद्रीय पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट पर संगठन बनेगा। हरिप्रसाद ने कहा कि 30 जून तक सभी जिलों के पैनल बनकर आ जाएंगे। 15 जुलाई तक जिलाध्यक्षों के नामों की घोषणा के संकेत हरिप्रसाद ने दिए। केंद्रीय पर्यवेक्षक स्थानीय नेताओं व वर्करों के अलावा सेवादल, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई व अन्य संगठनों के पदाधिकारियों से भी चर्चा करेंगे।

'संगठन सृजन कार्यक्रम' के तहत पार्टी ने जिलाध्यक्ष पद के लिए तीन-तीन नाम के पैनल बनाने का निर्णय लिया था। राहुल गांधी की अध्यक्षता में हुई बैठकों में विचार-विमर्श के बाद यह तय हुआ है कि अब हरियाणा के पैनलों में छह-छह नेताओं के नाम शामिल होंगे।

बीके हरिप्रसाद ने कहा कि कांग्रेस राजनीति में महिलाओं को 50 प्रतिशत भागीदारी की पक्षधर है। इसलिए संगठन गठन में कोशिश होगी कि अधिक से अधिक महिलाओं का एडजस्ट किया जाए। जिलाध्यक्ष पदों पर अगर महिलाएं नहीं आ पाती तो पदाधिकारियों में उन्हें तवज्जो दी जाएगी। इससे वर्करों में बेचैनी थी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के संगठन सृजन कार्यक्रम से कार्यकर्ताओं में उत्साह है। अब जल्द संगठन का गठन होगा और पार्टी पूरी मजबूती के साथ खड़ी होगी।

राष्ट्रीय स्तर के शहरी स्थानीय निकाय सम्मेलन की मेजबानी करेगी हरियाणा विधान सभा

पायनियर समाचार सेवा। चंडीगढ़

हरियाणा विधान सभा को एक और बड़ी जिम्मेदारी मिली है। लोक सभा ने राष्ट्रीय स्तर के शहरी स्थानीय निकायों के सम्मेलन की मेजबानी हरियाणा विधान सभा को सौंपी है। लोक सभा ने इसके लिए हरियाणा विधान सभा को बाकायदा पत्र लिख कर इस सम्मेलन के लिए समुचित व्यवस्थाएं करने के लिए कहा है। शहरी स्थानीय निकायों की राष्ट्रीय स्तर की दो दिवसीय कॉन्फ्रेंस 3 और 4 जुलाई को गुरुग्राम में होनी तय हुई है। कॉन्फ्रेंस का आयोजन लोक सभा और हरियाणा विधान सभा सचिवालय के संयुक्त तत्त्वावधान में होगा। विधान सभा के अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने इस आयोजन को गंभीरता से लेते हुए इसके लिए समुचित प्रबंध करने के निर्देश जारी किए हैं।

एसआरएफ लिमिटेड

सीआईएनः L18101DL1970PLC005197
पंजीकृत कार्यालयः द गैलेरिया, डीएलएफ मयूर विहार, यूनिट नं. 236 और 237, द्वितीय तल, मयूर प्लेस, मयूर विहार फेज । एक्सटेंशन, दिल्ली – 110 091
टेलीफोन नं.: (+91–11) 49482870, फैक्सः (+91–11) 49482900
कॉर्पोरेट कार्यालयः ब्लॉक–सी, सेक्टर 45, गुरुग्राम, हरियाणा–122003
टेलीफोन नं.: (91–124) 4354400, 4354500
ई–मेलः cs@srf.com; वेबसाइटः www.srf.com

एसआरएफ लिमिटेड की 54वीं वार्षिक आम बैठक के संबंध में जानकारी

कंपनी की 54वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") के माध्यम से गुरुवार, 3 जुलाई, 2025 को सुबह 11:00 बजे आईएसटी पर आयोजित की जाएगी, जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 के सभी लागू प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों और लिस्टिंग विनियमों और परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, परिपत्र सं. 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, परिपत्र सं. 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020, परिपत्र सं. 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021, परिपत्र सं. 2/2022 दिनांक 5 मई, 2022, परिपत्र सं. 10/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022, परिपत्र सं. 9/2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023 और परिपत्र सं. 09/2024 दिनांक 19 सितंबर, 2024 (सामूहिक रूप से श्एमसीए परिपत्रश के रूप में संदर्भित) और सेबी परिपत्र दिनांक 12 मई, 2020, जनवरी 15, 2021, 13 मई, 2022, 5 जनवरी, 2023, 7 अक्टूबर, 2023 और 03 अक्टूबर, 2024 (सामूहिक रूप से 'सेबी परिपत्र' के रूप में संदर्भित) और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अन्य लागू परिपत्रों के अनुपालन में एजीएम बुलाने की सूचना में निर्धारित व्यवसाय का संचालन किया जाएगा। सदस्य www.evoting.nsdl.com पर वी.सी. के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग ले सकेंगे। वी.सी. सुविधा के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम के उद्देश्य से गिना जाएगा।

प्रासंगिक परिपत्रों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रति और वार्षिक आम बैठक की सूचना कंपनी के उन सभी सदस्यों को भेजी जाएगी जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी(ओं) के साथ पंजीकृत हैं। उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.srf.com और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट अर्थात् बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर और ई–वोटिंग एजेंसी एनएसडीएल की वेबसाइट https://evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होंगे।

जिन सदस्यों ने कंपनी के रजिस्ट्रार (आरटीए) के पास अपना ई–मेल पता और मोबाइल नंबर पंजीकृत नहीं किया है, वे नोटिस और ई–वोटिंग निर्देशों की सॉफ्ट कॉपी प्राप्त करने के लिए आरटीए einward.ris@kfintech.com या कंपनी cs@srf.com से संपर्क कर सकते हैं।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए शेयरों के मामले में डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास और भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के मामले में कंपनी के रजिस्ट्रार के पास अपने विवरण अपडेट करें, इसके लिए उन्हें केवाईसी अपडेटेशन फॉर्म (कंपनी की वेबसाइट https://www.srf.com/investors/investors-information/ और आरटीए की वेबसाइट निवेशक सहायता केंद्र केफिनटेक पर उपलब्ध) भेजना होगा, जिस पर शेयरधारक(यों) द्वारा आवश्यक विवरणों के साथ हस्ताक्षर किए गए हों।

एजीएम के नोटिस में दूर से मतदान करने की विधि ("रिमोट ई–वोटिंग") की जानकारी दी गई है। एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से मतदान की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम की सूचना में दिए गए सभी नोटों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और विशेष रूप से एजीएम में शामिल होने के लिए रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से वोट डालने या एजीएम के दौरान ई–वोटिंग के निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

कृते एसआरएफ लिमिटेड
हस्ता/–
रजत लखनपाल
वरिष्ठ उपाध्यक्ष (कॉर्पोरेट अनुपालन) एवं कंपनी सचिव

दिनांकः 04.06.2025
स्थानः गुरूग्राम

35 से 55 वर्ष के बीच के व्यक्ति को ही मिलेगी जिले की कमान

- पांच साल तक पार्टी का सदस्य होना जरूरी
- भाजपा में जाकर वापस आने वाले को शर्तों में छूट

पायनियर समाचार सेवा। चंडीगढ़

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा संगठन के गठन को लेकर बुधवार को चंडीगढ़ में बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद तथा प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने बताया कि कांग्रेस जिला अध्यक्षों के चुनाव के लिए राहुल गांधी ने बुधवार को सभी पर्यवेक्षकों को नियम व शर्तें बता दी हैं। उन्होंने बताया कि कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बनने के लिए आयु सीमा 35 से 55 के बीच होनी चाहिए।

हरिप्रसाद ने कहा कि उस व्यक्ति को ही जिला अध्यक्ष बनाया जाएगा जो कम से कम पांच साल तक कांग्रेस की सदस्य रहेगा और कांग्रेस की रीति-नीति में पूर्ण विश्वास करेगा। पार्टी प्रभारी ने साफ किया कि जो लोग कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले गए थे और फिर से कांग्रेस में आ गए हैं उनके लिए पांच साल वाली शर्त लागू नहीं होगी। उन्हें इस मामले में छूट दी जाएगी। जो लोग भाजपा से कांग्रेस में आए हैं उनके लिए पांच साल की शर्त लागू रहेगी। उन्होंने कहा कि किसी जिले में कोई प्रसिद्ध समाज सेवी, खिलाड़ी या अन्य वर्ग का व्यक्ति भी चाहे तो जिला अध्यक्ष बनने के लिए आवेदन कर सकता है। पर्यवेक्षकों द्वारा ग्रांउड से उसके संबंध में रिपोर्ट ली जाएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी के सिद्धांत के अनुसार महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। जिला अध्यक्षों की तैनाती के समय किसी एक जाति का प्रभाव नहीं होगा। इसके लिए महिलाओं, दलितों तथा पिछड़ों को प्राथमिकता दी जाएगी।

कांग्रेस प्रभारी ने स्वीकार किया कि स्थानीय नेताओं की आपसी गुटबाजी के कारण प्रदेश में 11 साल से संगठन नहीं बन पाया है। अब राहुल गांधी के निर्देश पर सभी नेता केवल पार्टी के लिए काम करेंगे और 15 जुलाई तक जिला अध्यक्षों की सूची जारी कर दी जाएगी।पार्टी प्रभारी ने बताया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में हुई बैठक में किसी भी नेता ने मन-मुटाव नहीं दिखाया है। संगठन के गठन पर सभी की एक राय है।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिताएं 6 जून को

कुरुक्षेत्र। जिला खेल अधिकारी मनोज कुमार ने कहा कि 11वें अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में खेल विभाग, शिक्षा विभाग व आयुष विभाग कुरूक्षेत्र के तत्वाधान में ब्लॉक स्तरीय योगासन प्रतियोगिताएं 6 जून को प्रातः 8:30 बजे जिला कुरूक्षेत्र के प्रत्येक खण्ड में आयोजित करवाई जाएगी।

उन्होंने बुधवार को देर सायं एक प्रेस विज्ञप्त में कहा कि यह प्रतियोगिताएं 6 आयु वर्गों में महिला व पुरूष की अलग-अलग होगी। इसमें 10 वर्ष से अधिक 14 वर्ष तक आयु वर्ग में वृक्षासन, वक्रासन, चक्रासन, पश्चिमोतानासन व नटराज आसन 14 वर्ष से अधिक 18 वर्ष तक धनुरासन, गरुड़ासन, शलभासन, अर्द्ध मत्स्येंद्रासन व बद्ध पदमासन, 18 वर्ष से अधिक 28 वर्ष तक हलासन, पश्चिमोतानासन, नटराज आसन, उत्तानपाद आसन व उष्ट्रासन, 28 वर्ष से अधिक 40 वर्ष तक गरुड़ासन, गोमुख आसन, भुजंगासन, पश्चिमोतानासन व त्रिकोण आसन, 40 वर्ष से अधिक 60 वर्ष तक वृक्षासन, उतानपादासन, वक्रासन, जानुशीर्षासन व धनुरासन- 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए वीरभद्रासन, ताड़ासन, वक्रासन, भुजंगासन व पवनमुक्तासन का प्रदर्शन करना अनिवार्य होगा।

पांचाल समाज ने किया सुभाष सुधा का अभिनंदन

कुरुक्षेत्र। नरकातारी रोड पर पांचाल समाज कुरुक्षेत्र द्वारा पूर्व राज्यमंत्री सुभाष सुधा का अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम संयोजक जयंत पांचाल ने बताया कि सुभाष सुधा के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में पांचाल समाज द्वारा उनका स्वागत किया गया और केक काटकर भगवान विश्वकर्मा से उनके उत्तम स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना की गई। मंच का संचालन करते हुए एडवोकेट करमवीर पांचाल ने कहा कि पूर्व मंत्री सुभाष सुधा ने अपने कार्यकाल में कुरुक्षेत्र नगर का कायाकल्प करवाया है।

मृदुभाषी और मिलनसार व्यक्तित्व के धनी सुभाष सुधा ने अपने प्रयासों से कई कल्याणकारी योजनाओं में भागीदारी करके नगरवासियों को लाभ पहुँचाया है। उन्होंने शहर की सड़कों के सौंदर्यीकरण से लेकर एलिवेटेड ट्रैक निर्माण में अहम भूमिका के अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाया है। सुभाष सुधा ने कहा कि शीघ्र ही पांचाल समाज का राज्यस्तरीय कार्यक्रम आयोजित करवाया जाएगा जिसका पूरा खर्चा हरियाणा सरकार वहन करेगी, इसके लिए वे पांचाल समाज के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह से भेंट करके कार्यक्रम के लिए समय मांगेगे। अपने जन्मदिन के अवसर पर पांचाल समाज द्वारा आयोजित भव्य कार्यक्रम के लिए उन्होंने पूरे समाज का आभार जताया।

HDFC BANK We understand your world

विशेष परिचालन विभागः एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, भूतल, गुलाब भवन, 6, बहादुर शाह जफर मार्ग, आईटीओ, नई दिल्ली 110002

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)
(प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के **एचडीएफसी बैंक लि.** का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियो के अंतर्गत उधारकर्ता मेसर्स उत्कर्ष आइस एंड कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड (उधारकर्ता) इसके निदेशक श्री राहुल सेंगर, श्री प्रवीण कुमार सिंह और श्रीमती सरिता सिंह के माध्यम से इसके (बंधककर्ता/गारंटर) **को** मांग सूचना दिनांक 19-10-2024 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि **रु. 3,79,87,570.55 (रु. तीन करोड़ उनासी लाख सत्तासी हजार पाँच सौ सत्तर और पैसे पच्चपन मात्र) दिनांक 19.10.2024 तक और दिनांक 20.10.2024 से उस पर ब्याज एवं प्रभार सहित** उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर भुगतान करने को कहा गया था।

कर्जदार, गारंटर और बधंककर्ता राशि का प्रतिभुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा कर्जदार, गारंटर और बधंककर्ता तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि **अधोहस्ताक्षरी** ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत हाथरस, यू.पी. में दिनांक **04.06.2025** को ले लिया है। विशेष रूप से कर्जदार, गारंटर और बधंककर्ता तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन **एचडीएफसी बैंक लि.**, के प्रभार वास्ते **राशि रु. 3,79,87,570.55 (रु. तीन करोड़ उनासी लाख सत्तासी हजार पाँच सौ सत्तर और पैसे पच्चपन मात्र) दिनांक 19.10.2024 तक और दिनांक 20.10.2024 से उस पर ब्याज एवं प्रभार सहित** के अधीन होगा।

कर्जदार, का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

संपत्ति का विवरण	मालिक
वाणिज्यिक/औद्योगिक संपत्ति सं. खसरा/गाटा सं. 91मि में स्थित संपत्ति, ग्राम हाजीपुर, परगना और तहसील हाथरस, जिला हाथरस उत्तर प्रदेश–204102 में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल .6080 हेक्टेयर = 6080 वर्ग मी. और इसकी सीमाएं: पूर्वः कच्चा चक रोड, पश्चिमः चंद्रभान की भूमि, उत्तर–हरलोम की भूमि, दक्षिणः कच्चा चक रोड	श्री प्रवीण कुमार सिंह और श्री राहुल सेंगर

नोटः उपरोक्त नोटिस को अधिनियम के नियम 6, 8 और 9 के तहत बिक्री के लिए 30 दिन का नोटिस भी माना जाएगा।

स्थानः हाथरस, उत्तर प्रदेश, दिनांकः 04.06.2025 प्राधिकृत अधिकारी, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड

AXIS BANK LTD.
रिटेल एसेट सेंटर, एक्सिस बैंक लिमिटेड एक्सिस हाउस, टावर टी-2, द्वितीय तल, I-14, सेक्टर-128, नोएडा एक्सप्रेसवे, जेपी ग्रीन्स विशटाउन, नोएडा (यू.पी.)-201301

एक्सिस बैंक लि. रिटेल एसेट सेंटर- एक्सिस बैंक लिमिटेड इरोस कॉर्पोरेट पार्क, दुकान नं. 130,131, 132,140,141,142, 143, 144, टॉवर-के, सेक्टर 42, मानेसर-122052, एक्सिस बैंक लिमिटेड, हिमालय हाउस, ऊपरी तल और पहली मंजिल, कस्तूरबा गांधी मार्ग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001, कॉर्पोरेट कार्यालयः ब्लॉक-बी, बॉम्बे डाइंग मिल्स कंपाउंड, पांडुरंग बुधकर मार्ग, वर्ली, मुंबई-400025, पंजीकृत कार्यालयः त्रिशूल, तीसरी मंजिल, समर्थेश्वर मंदिर के सामने, लॉ गार्डन, एलिसब्रिज, अहमदाबाद-380006

मांग नोटिस

जबकि नीचे उल्लिखित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता ने एक्सिस बैंक लिमिटेड से वित्तीय सहायता प्राप्त की थी। हम बताते हैं कि वित्तीय सहायता प्राप्त करने के बावजूद, उधारकर्ताओं/गारंटरों/बंधककर्ताओं ने देय तिथियों के अनुसार ब्याज और मूलधन की अदायगी में विभिन्न चूक की हैं। एक्सिस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के आदेशानुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों/दिशानिर्देशों के अनुसार नीचे उल्लिखित संबंधित तारीखों पर खाते को गैर निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरफासी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत नीचे उल्लिखित संबंधित तिथियों पर मांग नोटिस जारी किए गए हैं, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ताओं/गारंटरों/बंधककर्ताओं से नोटिस में उल्लिखित राशि को नोटिस में उल्लिखित राशि पर संविदात्मक दर पर अतिरिक्त ब्याज और आकस्मिक व्यय के साथ ही नोटिस की प्राप्त होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान की तिथि तक लागत, शुल्क चुकाने का आह्वान किया गया है।

उनके अंतिम ज्ञात पते पर जारी किए गए नोटिस बिना तामील हुए वापस आ गए हैं, इसलिए उन्हें सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से इसकी सूचना दी जा रही है।

क्र. सं.	कर्जदार/सह-कर्जदार/गारंटर का नाम एवं पता	एनपीए की तिथि / मांग सूचना की तिथि / बकाया राशि / ऋण राशि
1.	1. मोहम्मद परवेज पुत्र श्री निजामुद्दीन निवासी सी–570, प्रथम तल, पॉकेट–।।, जसोला विहार, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, दक्षिणी दिल्ली दिल्ली–110025 और: मोहम्मद परवेज (प्रोपराईटर) टीएसटी गारमेंट्स बी–10–11, गली नं. 5, कांति नगर एक्सटेंशन, रेलवे लाइन के पास दिल्ली–110051 और: मोहम्मद परवेज पुत्र श्री निजामुद्दीन फ्लैट नं. बी–177 पॉकेट–।।, जसोला, नई दिल्ली–110025	10.03.2025 30.04.2025 रु. 7,79,592/- (रु. सात लाख उनासी हजार पाँच सौ बान्वे मात्र) रु. 7,47,500/-
	2. श्रीमती तबस्सुम परवेज पत्नी मोहम्मद परवेज निवासी सी–570, प्रथम तल, पॉकेट–।।, जसोला विहार, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, दक्षिण दिल्ली दिल्ली–110025 और: श्रीमती तबस्सुम परवेज पत्नी श्री मोहम्मद, परवेज निवासी ग्राम गजिया पोस्ट–धौरेपा नवाबगंज, बरेली, उप्र–262406 और: श्रीमती तबस्सुम परवेज पत्नी श्री मोहम्मद, परवेज फ्लैट सं. बी–177 पॉकेट–।।, जसोला, नई दिल्ली–110025	
	सुरक्षित संपत्ति का पताः– डीडीए जनता फ्लैट नं. 177, भूतल पर, ब्लॉक–बी, पॉकेट–11, जसोला, नई दिल्ली–110025 में स्थित है। और निम्नानुसार सीमाएं: उत्तर– टाइटल डीड के अनुसार, पूर्व– टाइटल डीड के अनुसार, पश्चिम– टाइटल डीड के अनुसार, दक्षिण– टाइटल डीड के अनुसार	
2.	1. श्री पीयूष अग्रवाल पुत्र श्री जगदीश चंद्र, निवासी 2717/ए, मेन पटेल रोड गली नं. 13 के सामने, रंजीत नगर, मेट्रो पिलर नंबर–206 दिल्ली–110008 और: श्री पीयूष अग्रवाल निवासी फ्लैट नं. टी–1403, टावर– ट्यूलिप, डिवाइन मीडोज अपार्टमेंट, जीएच–04, सेक्टर–108, नोएडा, यूपी–201301 2. श्रीमती मूर्ति देवी पत्नी श्री पीयूष अग्रवाल निवासी 2717/ए, मेन पटेल रोड गली नं. 13 के सामने, रंजीत नगर, मेट्रो पिलर नं. 206 दिल्ली–110008	08.11.2024 24.04.2025 रु. 13,08,322/- (रु. तेरह लाख आठ हजार तीन सौ बाईस मात्र) रु. 35,13,075/-
	सुरक्षित संपत्ति का पताः– 14वीं मंजिल पर आवासीय इकाई सं. टी–1403 टावर ट्यूलिप 'डिवाइन मीडोज' के नाम से जाने जाने वाले परिसर में निर्मित प्लॉट सं. जीएच–04, सेक्टर–108, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर–201301 (उत्तर प्रदेश) 1837.00 वर्ग फीट का सुपर एरिया जिसमें 3 बीएचके, स्टोर शामिल हैं उप–लीज के आधार पर भूमि में आनुपातिक अविभाजित अविभाज्य हित के साथ, संलग्न योजना के अनुसार, और निम्नानुसार सीमाएं: पूर्व – टाइटल डीड के अनुसार, पश्चिम – टाइटल डीड के अनुसार, दक्षिण–टाइटल डीड के अनुसार, उत्तर – टाइटल डीड के अनुसार	
3.	1. श्री रीजू रॉय पुत्र सत्य रंजन रॉय बी–3/503 एल्डेको गोल्फ व्यू अपार्टमेंट पी2 सेक्टर–ओमेगा 1, ग्रेटर नोएडा, उप्र–201310 और: श्री रीजू रॉय पुत्र सत्य रंजन रॉय फ्लैट नं. सन 4–1901, 19वीं मंजिल, ब्लॉक सन 4, प्लॉट नंबर जीएच–03, सेक्टर–ओमेगा 3, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर, उप्र–201310 2. श्रीमती मौसमी दत्ता रॉय पत्नी श्री रीजू रॉय बी–3/503 एल्डेको गोल्फ व्यू अपार्टमेंट पी2 सेक्टर–ओमेगा 1, ग्रेटर नोएडा, उप्र–201310 और: श्रीमती मौसमी दत्ता रॉय पत्नी श्री रीजू रॉय फ्लैट नं. सन 4–1901, 19वीं मंजिल, ब्लॉक सन 4, प्लॉट नं. जीएच–03, सेक्टर–ओमिक्रॉन 3, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश–201310	10.04.2025 05.05.2025 रु. 26,58,773/- (रु. छब्बीस लाख अट्ठावन हजार सात सौ तिहत्तर मात्र) रु. 25,10,481/- रु. 1,48,292/-
	सुरक्षित संपत्ति का पताः– फ्लैट/आवास इकाई सं. सन 4–1901 19वीं मंजिल पर, ब्लॉक सन 4, जिसमें दो बेडरूम, एक ड्राइंग कम डाइनिंग रूम, एक स्टडी, एक किचन, दो शौचालय और बालकनी है, कुल सुपर एरिया लगभग 1150 वर्ग फीट (106.84 वर्ग मीटर), कुल बिल्ड्अप/कवर्ड एरिया 823.1 वर्ग फीट (76.46 वर्ग मीटर) एक "कवर्ड" कार पार्किंग स्पेस का उपयोग करने के अधिकार के साथ, प्लॉट नं. जीएच–03 पर निर्मित, सेक्टर–ओमिक्रॉन 3, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, भवन के नीचे उक्त भूमि के भाग में अविभाजित, अविभाजित, अज्ञात पट्टा–धारिता अधिकारों के साथ, परिसर को बनाने वाले कई ब्लॉकों से मिलकर, उक्त फ्लैट/आवास इकाई के सुपर एरिया के अनुपात में, और निम्नानुसार सीमाएं: पूर्व – साइट प्लान के अनुसार, पश्चिम – साइट प्लान के अनुसार, उत्तर – साइट प्लान के अनुसार, दक्षिण – साइट प्लान के अनुसार	
4.	1. श्री गौतम कुमार मिश्रा पुत्र अमर नाथ मिश्रा, मकान नं. 3–बी, द्वितीय तल शशि गार्डन पटपड़गंज नई दिल्ली, दिल्ली 110091 और: श्री गौतम कुमार मिश्रा पुत्र अमर नाथ मिश्रा फ्लैट नं. 48 ब्लॉक–बी 23 प्रथम तल, पॉकेट–1 सेक्टर–34 डीडीए लिग फ्लैट, नई दिल्ली–110093 और: श्री गौतम कुमार मिश्रा पुत्र अमर नाथ मिश्रा मकान नं. एस 4/22 गली नं. 1, आचार्य निकेतन मयूर विहार फेज–। दिल्ली 110091 2. श्री शशि कांत मिश्रा (गारंटर) पुत्र अमर नाथ मिश्रा मकान नं. 3–बी, द्वितीय तल शशि गार्डन पटपड़गंज नई दिल्ली, दिल्ली	08.09.2024 30.04.2025 रु. 6,80,510/- (रु. छह लाख अस्सी हजार पाँच सौ दस मात्र) रु. 9,75,693/-
	सुरक्षित संपत्ति का पताः– फ्लैट नं. 48 ब्लॉक बी–23 प्रथम तल, पॉकेट–। सेक्टर – 34 डीडीए लिग फ्लैट्स, रोहिणी दिल्ली–110093	

उपरोक्त परिस्थितियों में, उपरोक्त उधारकर्ताओं, सह-उधारकर्ताओं और/या उनके गारंटरों (जहां भी लागू हो) को इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर ऊपर बताए गए बकाया का भुगतान भविष्य के ब्याज और लागू शुल्कों के साथ करने के लिए नोटिस दिया जाता है, ऐसा न करने पर इस नोटिस की तारीख से 60 दिनों की समाप्ति के बाद सुरक्षित परिसंपत्तियों के खिलाफ आगे कदम उठाए जाएंगे, जिसमें वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण की धारा 13(4) के तहत प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 का प्रवर्तन तथा उसके अंतर्गत लागू नियम के साथ उधारकर्ताओं और बंधककर्ताओं की सुरक्षित परिसंपत्तियों पर कब्जा लेना शामिल है।

कृपया सरफेसी अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर ध्यान आकृष्ट करें, जिसके अंतर्गत आप बैंक को देय सभी लागतों, प्रभारों और व्ययों सहित बकाया राशि की सम्पूर्ण राशि केवल सार्वजनिक नीलामी, कोटेशन आमंत्रित करके, जनता से निविदा या निजी संधि द्वारा सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए सूचना के प्रकाशन की तिथि तक जमा कर सकते हैं। कृपया यह भी ध्यान दें कि यदि बैंक द्वारा वहन की गई लागत, प्रभार और व्यय सहित बकाया राशि की पूरी राशि सार्वजनिक नीलामी द्वारा सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए नोटिस के प्रकाशन से पहले, कोटेशन आमंत्रित करके, जनता से निविदा या निजी संधि द्वारा प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो आप सुरक्षित परिसंपत्तियों को छुड़ाने के हकदार नहीं हो सकते हैं। कृपया ध्यान दें क